

30-08-2014 वादीगण सह श्री वाय.आर.चौधरी अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 सह श्री जी.आर.यादव अधिवक्ता।  
प्रतिवादी क्रमांक-7 एकपक्षीय।

प्रकरण आई.ए.नं. 4 पर आदेश हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, जिसके आधार पर विवादित भूमि के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.827 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2.230 हेक्टेयर भूमि पर पर वादी क्रमांक-1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4, 5 को 1/6 - 1/6 अंश प्राप्त होगा तथा खसरा नम्बर 29/1 रकबा 6.872 हेक्टेयर भूमि पर वादी क्रमांक-1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4, 5, 6 व 7 को 1/8 - 1/8 अंश प्राप्त होगा। अतएव राजीनामा स्वीकार कर डिक्री पारित किया जावे।

राजीनामा आवेदन के समर्थन में वाद के सभी पक्षकारगण सवनू, पवनलाल, दुलमतबाई, ब्रजलाल, देवीलाल, ऐवनलाल, धनंजय, देवकीबाई व संतोषीबाई के राजीनामा कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जिसमें उन्होंने राजीनामा आवेदन में उल्लेखित भूमि के अंश के अनुसार हिस्सा प्राप्त करने और स्वैच्छया से राजीनामा स्वीकार किये जाने के कथन किये हैं।

राजीनामा आवेदन में पक्षकार के रूप में वादी क्रमांक-1 व 2, प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4, 5, 6, 7 का उल्लेख किया गया है। उक्त आवेदन में प्रतिवादी क्रमांक-2 को मध्य प्रदेश शासन के रूप में उल्लेखित किया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक-7 को मूल वादपत्र में मध्य प्रदेश शासन के रूप में दर्शित किया गया है। उक्त विसंगति पर उभयपक्ष का यह तर्क है कि वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-2 देवीलाल को त्रुटिवश आवेदन पत्र में प्रतिवादी क्रमांक-7 के रूप में उल्लेखित किया गया है। वास्तव में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के मध्य उक्त राजीनामा होकर उक्त पक्षकारगण ने राजीनामा कथन न्यायालय में पेश किये हैं। अतएव उक्त विसंगति को आदेश में दूर किया जाकर वादी क्रमांक-1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 6 के पक्ष में राजीनामा का आदेश पारित किया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण एवं आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

मूल वादपत्र में विवादित भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्ति को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना प्रकट होता है। जहां तक मूल वादपत्र एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित पक्षकारगण के क्रमांक में त्रुटि का प्रश्न है, इस संबंध में उभयपक्ष को पूर्व में न्यायालय के द्वारा अवगत कराया जा चुका है, किन्तु उभयपक्ष ने अवसर प्राप्त करने के उपरांत भी पक्षकारगण के माध्यम से उक्त त्रुटि को दूर किये जाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। ऐसी दशा में राजीनामा आवेदन के अनुसार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभयपक्ष ने स्वैच्छया से राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। प्रस्तुत राजीनामा व समझौता वाद की विषय वस्तु के अनुरूप प्रस्तुत है जिसे स्वीकार किये जाने पर कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। उभयपक्ष की पहचान श्री वाय.आर.चौधरी एवं जी. आर.यादव अधिवक्ता ने की है। अतएव आवेदन पत्र सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र के अनुसार निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है कि—

1. मौजा सलघट, प.ह.नं. 40, जिला बालाघाट स्थित विवादित भूमि के खसरा नम्बर 1/1 रकबा 1.827 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2.230 हेक्टेयर भूमि पर पर वादी

क्रमांक-1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4, 5 को  $1/6 - 1/6$  अंश प्राप्त होगा तथा खसरा नम्बर 29/1 रकबा 6.872 हेक्टेयर भूमि पर वादी क्रमांक-1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3, 4, 5, 6, 7 को  $1/8 - 1/8$  अंश प्राप्त होगा।

2. उभयपक्ष अपना-अपना वाद-व्यय वहन करे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर देय होगी।

तदानुसार वाद में समझौता आज्ञाप्ति तैयार की जावे तथा उक्त राजीनामा आवेदन पत्र आज्ञाप्ति के साथ संलग्न किया जावे, जो आज्ञाप्ति का भाग माना जावेगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार पंजी 'अ' में दर्ज किया जावे तथा प्रकरण समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)